

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस

वाद संख्या : 190/2021 (89/2014)

निर्णय दिनांक : 08.01.2024

बनवारी

बनाम

गोपाल वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी०

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा० दी० पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 41 व 42 अधिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त उनवानी वाद पत्र वाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है। वादी ने वाद पत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में घोषणा की डिक्री का अनुतोष चाहा है कि सेटलमेन्ट सम्वत् 2015 में खसरा नम्बर व पर्चा के अनुसार खसरा नम्बर 117 का खसरा नम्बर 127, 128 सहवन से प्रतिवादी संख्या 41 व 42 के नाम चढ गया तथा उक्त खसरा नम्बर में वादी ने स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 46 के नाम हिस्सा दर्ज करवाने की घोषणा की डिक्री चाही है जबकि वादी अपने हक व अधिकार के सम्बन्ध में दावा ला सकता है किसी दुसरे के हक व अधिकारो के लिए यह दावा पेश किया गया है इस कारण वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ। वादी ने बिना वाद कारण उत्पन्न हुए ही यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण वादी का वाद पत्र वाद कारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज है। वादी ने अपने सम्पूर्ण वाद पत्र में कही भी यह नहीं दर्शाया है कि वादी को वाद पत्र पेश करने के लिए कब वाद हेतुक उत्पन्न हुआ। बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही वादी ने यह वाद पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज है। वादी ने घोषणा का अनुतोष चाहा है परन्तु उक्त भूमि पर वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ना ही कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया है, और न ही कब्जे प्राप्ति की घोषणा चाही है। इस कारण वादी का वाद पत्र विधि विरुद्ध होने के कारण चलने योग्य नहीं है काबिले खारिज है। प्रतिवादी संख्या एक ने उक्त आराजीयात को जयपुर विकास प्राधिकरण में समर्पण कर अपने नाम से धारा 90क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि से अकृषि गैर

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

कृषिक प्रयोजन के आदेश दिनांक 20.06.2023 को करवा लिया तथा उक्त आराजीवात का भी न्यायान्तकरण की राजस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से खोला जा चुका है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि का नक्शा भी अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार उक्त भूमि कृषि से अकृषि में परिवर्तन की जाकर वर्तमान में उक्त भूमि की किरम आवासीय राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है इस कारण उक्त भूमि आवासीय रूप में दर्ज होने के कारण श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब पेश न करते हुए सीधे बहस करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता ने बहस अपनी बहस में निवेदन किया कि पूर्व में भी प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है, प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बेबुनियादी तरीके से पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रतिवादी संख्या 41 व 42 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।


बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली में दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी की ओर प्रार्थना पत्र के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय की प्रति पेश की गई। हाल राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण की है और वादग्रस्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित की जा चुकी है इसलिए भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं रहा, राजस्व न्यायालयों में केवल मात्र कृषि भूमि से सम्बन्धित विवादों की सुनवाई की जा सकती है, उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नहीं रही है, इसलिए वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह आपत्ति उठाई कि वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई वादकारण उत्पन्न नहीं है, वादकारण के अभाव में वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कही भी यह अंकित नहीं किया कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादी को वादकारण कब उत्पन्न हुआ है, ना ही वादकारण के सम्बन्ध में कोई व्याख्या की गई है, वाद पत्र पेश करने के लिए वादकारण का होना आवश्यक है, वादी को कोई वादकारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है, इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11(ए) जा0दी0 की परिधि में आवृत होता है। घोषणा के वाद के लिए वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का होना आवश्यक है वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में

जयपुर विकास प्राधिकरण
न्यायालय

कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही वाद पत्र के माध्यम से कोई अनुतोष की मांग की है। वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में इस वाद के माध्यम से स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 46 के हक व अधिकारों घोषणा चाही है जबकि वादी अपने हक व अधिकार के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर सकता है, प्रतिवादीगण के सम्बन्ध में वादी उनके हक व अधिकार प्राप्त करने का अनुतोष इस वाद के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही वादी को इस प्रकार कोई अधिकार प्राप्त होते है, इसलिए वादी का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 41 व 42 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 41 व 42 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर।